अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 21– DEFENCE PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue :**				
प्रभारित -	*Charged-*		*25,00*	*35,75*	*+10,75*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	24999,75,00			
पूरक	Supplementary	9000,00,00	33999,75,00	37336,05,73	+3336,30,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* अंश में व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *₹10.75 लाख* अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय *₹10,74,960* था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *₹10.75 lakhs* (actual excess was *₹10,74,960*). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits	*25.00*	*35.75*	*+10.75*

(I) "रक्षा - सेना" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

(का) "पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - *₹5.68 लाख* का अधिक व्यय (*₹20.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुआ; और

(I) Under "Defence - Army" – excess occurred under the following heads :-

(A) "Pension and other Retirement Benefits" - excess of *₹5.68 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹20.00 lakhs*); and

(खा) “छुट्टी नकदीकरण” - *₹8.24 लाख* का अधिक व्यय (*शून्य विनियोग* की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय न्यायालय के आदेश को लागू किए जाने के कारण हुआ।

2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, यद्यपि मार्च, 2011 में ₹900000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹333630.73 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹333630,72,983 था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/ हुईं:-

(B) “Leave Encashment” - excess of *₹8.24 lakhs* (against *nil appropriation*).

Excess under the above two heads was due to implementation of court decree.

2. In the voted portion of the grant, although supplementary grant of ₹900000.00 lakhs was obtained in March, 2011, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹333630.73 lakhs (actual excess was ₹333630,72,983). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2071” पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head “2071” Pensions and other Retirement Benefits					
मू.	O.	2499975.00				
				3399975.00	3733605.73	+333630.73
पू.	S.	900000.00				

(I) “रक्षा” के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) “सेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ”- ₹322688.81 लाख का अधिक व्यय (₹774865.08 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2981068.80 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) “नौसेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ”- ₹9515.52 लाख का अधिक व्यय (₹9836.08 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹88514.35 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय समान रैंक समान पेंशन स्कीम लागू किए जाने, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों

(I) Under “Defence” – excess occurred under the following heads:-

(A) “Army - Pension and other Retirement Benefits” - excess of ₹322688.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2981068.80 lakhs including supplementary grant of ₹774865.08 lakhs); and

(B) “Navy - Pension and other Retirement Benefits”- excess of ₹9515.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹88514.35 lakhs including supplementary grant of ₹9836.08 lakhs).

Excess under the above two heads was due to implementation of one rank one pension scheme,

की संख्या अधिक होने और उंचत के अंतर्गत राशि का समाशोधन करने के लिए बैंकों से प्राप्त लंबित पेंशन स्क्रालों को दर्ज किए जाने के कारण हुआ।

more number of retirees and booking of pending pension scrolls received from banks to clear amount under suspense.

(गा) "वायु सेना - छुट्टी नकदीकरण" - ₹11162.62 लाख का अधिक व्यय (₹142.66 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹14067.79 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में अधिक अवकाश होने के कारण हुआ।

(C) "Air Force - Leave Encashment" - excess of ₹11162.62 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14067.79 lakhs including supplementary grant of ₹142.66 lakhs) was due to more leave at credit of retirees.

3. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा निम्नानुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) "रक्षा-सेना-पुरस्कार" के अंतर्गत ₹600.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1100.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹800.29 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) पदकों/नकद पुरस्कारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under "Defence - Army – Rewards" – the original provision of ₹600.00 lakhs was augmented to ₹1100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹800.29 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds for medals/cash awards.

(II) "रक्षा" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under "Defence" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "सेना - छुट्टी नकदीकरण" - ₹83901.36 लाख के मूल प्रावधान को ₹11064.62 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹94965.98 लाख कर दिया गया, तथापि, जो पदोन्नति की वजह से अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की कार्यमुक्ति को रद्द किए जाने और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश कम संख्या में होने के कारण ₹5026.16 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Army - Leave Encashment" – the original provision of ₹83901.36 lakhs was augmented to ₹94965.98 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11064.62 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹5026.16 lakhs – due to cancellation of discharge of Personnel Below Officer Rank owing to promotion and less number of earned leave at credit of retirees.

(खा) "वायु सेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - ₹101145.95 लाख के मूल प्रावधान को ₹103591.56 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹204737.51 लाख कर दिया गया, तथापि, जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण ₹901.83 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Air Force – Pension and other Retirement Benefits" – the original provision of ₹101145.95 lakhs was augmented to ₹204737.51 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹103591.56 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹901.83 lakhs – due to less number of retirees.

(III) "रक्षा - नौसेना - छुट्टी नकदीकरण" के अंतर्गत ₹3016.74 लाख की बचत (₹15515.57 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में कम संख्या में अवकाश होने के कारण हुई।

(III) Under "Defence - Navy - Leave Encashment" – saving of ₹3016.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15515.57 lakhs) was due to less number of leave at credit of retirees.